POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! मोदी सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा बन कर तैयार है। मसौदे के अनुसार शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बजाय 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को देने का प्रस्ताव है। देश के हर राज्य में एक राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। शिक्षा को बहुआयामी व रोजगार परक बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव सामने आएंगे। मसौदे में तकनीकी व प्रोफेशनल शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत हो। बचपन की पढ़ाई जितनी उम्दा और पुख्ता होगी हम सफलता की दौड़ में उतने ही आगे होंगे। दुनिया के तमाम विकसित देशों ने बहुत पहले इस तथ्य को समझा तथा प्राथमिक शिक्षा और उसकी क्वालिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हम इस दिशा में पड़ौसी देश चीन से सबक ले सकते है।

मेरा मानना रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसे जन साधारण के बीच सहभागिता और जनजागृति अभियान के रूप में संचालित किया जाए। नीतियों को धरातल पर उतारने हेतु सभी हितधारकों को कमर कसके प्रयास करने होंगे।

शहर ही नहीं देश के दूर-दराज के गांवों तक शिक्षा से संबंधित संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित होना आवश्यक है। चाहे सरकारी हो या निजी स्कूल, महत्वपूर्ण यह है कि किसी के लिए भी शिक्षा आर्थिक बोझ नहीं बने। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे सामने चुनौतियां बहुत है। आइये, सरकार के साथ हम सब सामूहिक रूप से जुड़ कर इन्हें सरल बनाएं....

मध्यम वर्ग परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता

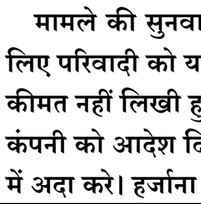

गरीब, निर्धन या असहाय व्यक्ति अपने वाजिब हकों के लिए न्याय पाने से वंचित न रहे। इसके लिए विधिक सहायता को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

- राज्य सरकार सालाना तीन लाख रुपए तक की आय वालों को भी मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने को तैयार हो गई है। सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रस्ताव मान लिया है और जल्द ही आदेश जारी होने की उम्मीद है। फिलहाल अभी यह सीमा डेढ़ लाख रुपए है। आदेश जारी होने पर तीन लाख रुपए तक सालाना आय वालों को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की किसी भी अदालत में पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिल सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेगार मांगने वाले या मानव तस्करी के शिकार, जातीय प्रताड़ना या हिंसा, प्राकृतिक आपदा के शिकार, औद्योगिक श्रमिक, बंदी एवं मनोरोग के शिकार व्यक्तियों को भी मुफ्त सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है।
- महिलाओं के विवाह सम्बन्धी व दहेज विरोधी कानून, अपहरण, बलात्कार तथा भरण-पोषण भत्ता पाने के मामलों आदि में आमदनी की यह सीमा लागू नहीं होती। उन्हें अधिक आमदनी होने पर भी विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
- विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को राज्य के किसी भी न्यायालय में दर्ज होने वाले मामलों में उनके वकील की फीस, कोर्ट फीस, गवाह खर्च आदि में से जो भी सहायता विधिक सहायता समिति दिलाना उचित समझे दिलाए जाते हैं।

बाटा कंपनी को भारी पड़ा उपभोक्ता से कागज बैग के पैसे वसूलना

जयपुर निवासी महेश पारीक ने अपने अधिवक्ता के जरिए बाटा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया कि परिवादी ने 16 अप्रैल 2016 को 399 रुपए में सोढ़ाला स्थित शोरूम से बाटा के जूते खरीदे थे। कंपनी की ओर से कीमत में कागज के बैग के दो रुपए अतिरिक्त जोड़कर परिवादी से पैसे वसूले गए। जबकि बैग पर विज्ञापन के मकसद से बाटा कंपनी का नाम और लोगो छपा था। बाटा कंपनी इस तरह उपभोक्ता से बैग के रुपए वसूल रही है और दूसरी तरफ दिए गए बैग के माध्यम से अपना विज्ञापन भी कर रही है। इससे कंपनी दोहरा लाभ उठा रही है, जो गैरवाजिब है। कंपनी का दायित्व है कि वह ग्राहक को मुफ्त बैग दे।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने माना कि कंपनी ने शुद्ध रूप से अपने विज्ञापन के लिए परिवादी को यह बैग दिया और बदले में उसकी कीमत भी वसूली। जबकि बैग पर उसकी कीमत नहीं लिखी हुई थी और ना ही शोरूम पर इस बारे में कोई सूचना चस्पा थी। मंच ने बाटा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 10 हजार रुपए हर्जाना एवं परिवाद खर्च के रूप में अदा करे। हर्जाना राशि दो माह में अदा नहीं करने पर इस पर नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा।

सभी किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद

किसान परिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपए की सरकारी आर्थिक सहायता मिल सकेगी, बेशक उनके पास कितनी भी जमीन हो।

सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों, केन्द्र व राज्य सरकार के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों और आयकर देने वाले किसान परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही पेशेवर संस्थाओं से पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और वास्तुविद किसान परिवार भी योजना का हिस्सा नहीं होंगे। कृषि मंत्रालय द्वारा इस बारे में सभी राज्य सरकारों को पत्र भिजवाकर कहा गया है कि योजना के दायरे में आने वाले तमाम योग्य लोगों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

स्वयं सहायता समूहों ने बनाया सांसद

17वीं लोकसभा में ओडिशा की अस्का सीट से सांसद बनी जमीनी कार्यकर्ता प्रमिला बिसोई

एक किसान है और उनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है।

कमजोर आर्थिक हालात के चलते प्रमिला ने पहले गांव में ही एक आंगनबाड़ी में काम किया और इसके बाद एक स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की। लगन, मेहनत और समर्पण की बदौलत प्रमिला को काफी कम वक्त में सफलता मिल गई और वे ओडिशा के महिला स्वयं सहायता समूह के मिशन शक्ति की प्रतिनिधि बन गईं।

प्रमिला के जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों पर गौर करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें अस्का लोकसभा सीट से बीजद उम्मीदवार के बतौर चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। वह दो लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतीं। उसने इस जीत का श्रेय महिला समूहों को देते हुए देश की तमाम महिलाओं को उम्मीद दी है कि वे भी अपनी जिंदगी में ऊंचाईयों को छू सकती हैं।

पेड़ काटने पर सुनाया अनूठा फैसला

प्रतापगढ़ के जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने वन क्षेत्र में खेर के 27 पेड़ काटते पकड़े गए बजरंगगढ़ निवासी रामा उर्फ रामलाल तेली को सशर्त जमानत देते हुए अनूठा आदेश सुनाया। अदालत के फैसले के मुताबिक आरोपी रामलाल तेली को एक महीने के भीतर वन क्षेत्र में आंवले के 270 पेड़ लगाने होंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी होगी।

यह ही नहीं, उसे लगाए गए पौधों की फोटो भी कोर्ट में पेश करनी होगी। साथ ही वन विभाग की टीम को भी मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सुनाया गया ये फैसला लोगों में काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

लोकप्रिय योजनाएं होगी और कारगर

नई मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव कर सभी किसानों को उसमें शामिल कर दिया है। इसी तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और पीएम उज्ज्वला योजनाओं के लिए भी संसाधन बढ़ाए जाएंगे, ताकि इन योजनाओं के फायदे उन्हें अनवरत मिलते रहें।

सरकार इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर सामने आई परेशानियों को भी दूर करेगी एवं आमजन के हित में इन्हें और अधिक कारगर व लोकप्रिय बनाया जाएगा।

अल्पसंख्यक छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देशभर के मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा, ताकि अल्पसंख्यकों के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मदरसों में कम्प्यूटर व विज्ञान विषय भी पढ़ाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगले पांच सालों में अल्पसंख्यक समुदायों के 5 करोड़ छात्रों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इनमें 50 फीसदी लड़कियां होंगी। मदरसों में अध्यापकों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कम्प्यूटर जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों में जांचें होगी मुफ्त

राज्य सरकार ने निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों सहित जिला अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच संख्या बढ़ा दी है।

अब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में जांच संख्या को 70 से बढ़ाकर 90, जिला व समकक्ष अस्पतालों में 56 से बढ़ाकर 71, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 से बढ़ाकर 44 और और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 15 से बढ़ाकर 36 किया जाएगा।

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि आमजन को बेहतर चिकित्सा मिले इसके लिए जांच सुविधाओं का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिला और कस्बे तक फ्री जांचें होंगी।

'पानी बचाओ' एक अभियान बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शुद्ध पेयजल जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगले पांच साल में देश का कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा, जहां तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न हो। इसके लिए पानी से संबंधित सभी मंत्रालयों को शामिल कर जलशक्ति मंत्रालय बनाया गया है, ताकि योजनाओं का

क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल संरक्षण के लिए देश में स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर 'पानी बचाओ' अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जनता से इस अभियान में जुटने का आह्वान करते हुए बताया कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक महा-अभियान बनाने के लिए सभी सरपंचों के नाम पत्र जारी किए गए हैं। उन्हें बरसाती पानी के संरक्षण के लिए हर संभव काम कराने को कहा गया है।

कृषि क्षेत्र में होंगे तेजी से सुधार

किसानों को फसल के बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए नीति आयोग ने नई नीति तैयार की है। इसमें किसानों की आय में वृद्धि के साथ सूखे की स्थिति में उन्हें राहत देने के उपायों को शामिल किया गया है। नई नीति में किसानों को फसल की बुआई सहित कृषि से जुड़े अन्य पहलुओं पर उपयोगी सलाह देने की व्यवस्था भी की गई है। इससे कृषि क्षेत्र में तेजी से सुधार लाए जा सकेंगे।

आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बताया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जब ज्यादातर नए सरकारी काम थमे हुए थे, उस दौरान आयोग ने इस नीति का मसौदा तैयार कर नई सरकार के शुरुआती ऐजेंडा में रखा है।

पंचायतों का होगा पुनर्गठन

प्रदेश में राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला किया है। भाजपा सरकार ने वर्ष 2014 में 5000 से 7500 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया था। अब सरकार 4000 से 6500 की आबादी के हिसाब से पुनर्गठन कराने जा रही है।

इसके लिए कलक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतों को ही रखा जाएगा। यदि एक सर्किल में ज्यादा गांव हैं तो 25 के बाद नई पंचायत समिति बनाने का काम शुरू होगा और दूसरी पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों को शामिल कर 25 पंचायतों पर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। दो लाख या उससे अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों का पुनर्गठन होगा।

आपकी बेटी योजना में इजाफा

राज्य सरकार ने 'आपकी बेटी योजना' के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब कक्षा एक से आठ में अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपए तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपए की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसी बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता दोनों अथवा किसी एक का निधन हो गया हो।

क्या आप जानते हैं?

विद्युत अधिनियम (2003) के अनुसार राजस्थान में 'शिकायत निवारण सह समझौता मंचों' की स्थापना की गई है, जिनका काम विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का सामयिक निस्तारण करना है। राजस्थान में इन मंचों की स्थापना विद्युत निगम के चार स्तरों पर की गई है जो विवादित राशि और उपभोक्ता वर्ग के अनुसार शिकायतों की सुनवाई करते हैं।

गैर आर्थिक मुद्दों में एल टी उपभोक्ता डिविजनल फोरम से; एच टी उपभोक्ता सर्कल/जिला फोरम से और ई एच टी उपभोक्ता कॉर्पोरेट फोरम से संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक मुद्दों की दशा में उपभोक्ता दस हजार रुपए तक सब-डिविजनल फोरम से; दस हजार से पच्चीस हजार रुपए तक डिविजनल फोरम से; पच्चीस हजार से तीन लाख रुपए तक सर्कल फोरम से और उससे ऊपर के मामलों के लिए कॉर्पोरेट फोरम में संपर्क कर सकते हैं। फोरम के निस्तारण से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता फोरम द्वारा निस्तारण की अवधि से 90 दिनों के अंदर जयपुर में विद्युत लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

विद्युत प्रशासन की इन विषयों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच सतर्कता बढ़ाने के लिए राजस्थान के चार जिलों की छह पंचायत समितियों में (चित्तौड़गढ़ में भदेसर और चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में बौंली और सवाई माधोपुर, बीकानेर में कोलायत और जोधपुर में फलौदी) 'उपभोक्ता सहायता केन्द्र' की स्थापना की गई है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर